

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IV अनुभाग

पद का नाम	राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय में पुराभिलेखविद् (ओरिएंटल रिकार्ड) के पद की एक (01) रिक्ति
विज्ञापन सं.	02/2023
रिक्ति सं.	23010202428

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 11.05.2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 21.05.2023 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 02 आवेदकों से अभ्यावेदन/ई-मेल प्राप्त हुए हैं। उन दोनों अभ्यावेदनों की जांच की गई है। दोनों आवेदकों की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। परन्तु, 01 आवेदक की अस्वीकृति को "अपूर्ण - अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना" से "एलईक्यू-क(i)" श्रेणी में एवं 01 आवेदक की अस्वीकृति को "एलईक्यू-क(ii)" से "एलडीक्यू-ख" श्रेणी में बदला गया है।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

लघुसूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	-
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	अ.यो-क(i) (ii) + अ.यो-ख
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	शून्य

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु- सूचीबद्ध नहीं किया गया है	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क(i)	01. (01 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-क(ii)	04, 05 एवं 07. (03 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-ख	03. (01 उम्मीदवार)
	विचाराधीन क्षेत्र में शामिल नहीं	शेष 02 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।

2/24

**अपनाए गए
मानदंड**

- (i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
- (ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।
- (iii) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन-पत्र (ओआरए) में किया गया है। ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है और इसको एलईक्यू-ख (अनिवार्य योग्यता-ख (अनुभव) में कमी श्रेणी) के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।
- (iv) किसी अभिलेखागार या सरकारी रिकार्ड कार्यालय में पर्यवेक्षक की क्षमता में अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर संगत विषय में अनुसंधान या अध्यापन में दो वर्ष का अनुभव।
- (v) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती(समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु जिन उम्मीदवारों ने किसी अनुबंध का उल्लेख किया हो और उसको प्रस्तुत नहीं किया हो, उनके आवेदनों को 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।
- (vi) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।
- (vii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परन्तु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (viii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।
- नोट:-** आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

संकेतक:

एलईक्यू-क(i) - अनिवार्य योग्यता-क(i) में कमी

एलईक्यू-क(ii) - अनिवार्य योग्यता-क(ii) में कमी

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता-ख में कमी



(ए. एन. मिश्रा)

उप सचिव (भ. IV)

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।